Date Diary No. 22th D.

रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003-05

भारत सरकार

REGD, No. G-3/DL (N)-04/0009/2003-05

GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 43] दिल्ली, अक्तूबर 29—नवम्बर 4, 2010, बृहस्पतिवार/कार्तिक 7-कार्तिक 13, 1932 [रा.स.स.क्षेद्धि सं 184, 186, 188] No. 43] DELHI, OCTOBER 29—NOVEMBER 4, 2010, THURSDAY/KARTIKA 7—KARTIKA 13, 1932 [N.C.T.D. No. 184, 186, 188]

> भाग —IV PART –IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधांनी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Som (Has

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसचना

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सं. फा. 4/2/2003/गृह (सामान्य)/5184.—गृह मंत्रालय, भ्रास्त सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू.—11011/2/74-यू.टीएल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त हाक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री डी. एस. गहलोत, तर्दथ दानिक्स अधिकारी, उप-खण्ड अधिकारी (दिल्ली केंट) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मुकुल कोरंगा, उप सचिव, (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd November, 2010

No. F. 4/2/2003-HOME(G)/5184.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri D. S. Gahlot, Ad-hoc Danics Officer, presently working as SDM (Delhi Cantt.) to be the Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MUKUL KORANGA, Dy. Secy. (Home)

4295 DG/2010

(305)

सहकारिता विभाग पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2010

सं. फा. 46/2037/उत्तर पश्चिम/हा.बि./3275.—दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127; दिल्ली अधिनियम 3, 2004 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, कैलाश इंकलेब सहकारी हाउस बिल्डिंग समिति लि. (2037 स. आ.) धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003; दिल्ली अधिनियम-3, 2004 के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्य काल की अवधि दिनांक 03-03-2011 तक बढ़ाई जाती है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

सं. कु. झा, संयुक्त सचिव (सहकारिता)

DEPARTMENT OF COOPERATIVE OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OP. SOCIETIES NOTIFICATION

Delhi, the 28th October, 2010

No. F. 46/2037/NW/GH/3275.—In exercise of the powers conferred by the Delhi Co-operative Socities Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Kailash Enclave Co-operative House Building Society Ltd. (2037/GH) from the provisions of Section 37(1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supercession of the managing committee and the term of the Administrator of the said society upto 03-03-2011.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, S. K. JHA, Jt. Secy. (Cooperation)

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2010

सं. 282/डी.एच.सी/राजपत्र/पी.एफ.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश गण दिल्ली न्यायिक सेवा के एक अधिकारी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री परमानंद सिंह (कर्मचारी कोड 89319588) को उनका नाम "राकेश कुमार" से ''राकेश कुमार रामपुरी" परिवर्तित करने की अनुमित सहर्ष प्रदान करते हैं। आज से उन्हें "राकेश कुमार रामपुरी" के नाम से जाना जायेगा।

आदेशानुसार, वी. पी. वैश्य, निबन्धक (सतर्कता)

HIGH COURT OF DELHI : AT NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2010

No. 282/DHC/Gaz./P. F.—Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of this Court have been pleased to permit Sh. Rakesh Kumar S/o Sh. Parmanand Singh (Employee Code- 89319588), an officer of Delhi Judicial Service, to change his name from "Rakesh Kumar" to "Rakesh Kumar Rampuri" to be henceforth known as "Rakesh Kumar Rampuri".

By Order,

V. P. VAISH, Registrar (Vigilance)

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सं. फा.10 (1281)/मु.स. (मुख्या.)/स.शू./5761.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि
नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-प्रधान (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि मैसर्स इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि., इफको
सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेन्टर, साकते, नई दिल्ली द्वारा अग्रिम मुद्रांक
शुल्क के रूप में रु. 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) जो कि उनके
द्वारा अक्तूबर, 2010 से दिसम्बर 2010 तक जारी की जाने वाली
विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अवधि के
समाप्त होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चाटर्ड
एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो
इस कार्यालय में जमा करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 3rd November, 2010

F. No. 10(1281)/COS(HQ)/Cons. Duty/5761.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFFCO-TOKIO General Insuarance Co. Ltd., IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lac) only in advance chargeable on various policy of Insuarance to be issued by the said company during the period October, 2010 to December, 2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the

utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं. फा. १० (१४६१)/मु.स. (मुख्या)/स.शु. /5779.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पी. ई. एनालीटिक्स प्रा. लि., डी-4, कमर्शियल कॅम्पलेक्स, पश्चिम मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,28,12,430 मूल्य के इिववटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 17871 से 38109 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,12,813 (रुपये एक लाख बारह हजार आठ सौ तेरह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No.10(1461)/COS(HQ)/Cons. Duty/5779.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s P.E. Analytics Pvt. Ltd., D-4, Commercial Complex, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,12,813 (Rs. One Lac Twelve Thousand Eight Hundred Thirteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,28,12,430 for equity Share certificates with distinctive Nos. 17871 to 38109 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1463)/मु.स. (मुख्या)/स.श्./5780.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 300,00,00,000 (रुपये 110 करोड़ बैकिंग कम्पनीज के लिए एवम् रुपये 190 करोड़ नन-बैकिंग कम्पनीज के लिए)मूल्य के परिपचुयल टायर-। बोण्ड्स 2010-11 सीरीज जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 1 से 3000 है; पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 21,20,000 (रुपये इक्कीस लाख बीस हजार) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1463)/COS(HQ)/Cons. Duty/5780.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue

Authority, Delhi hereby directs that M/s Oriental Bank of Commerce, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 21,20,000 (Rs. Twenty One Lac Twenty Thousand) only on the aggregate value of Rs. 300,00,00,000 (Rs. 110 Crore to banking companies and Rs. 190 Crore to Non banking company) for perpetual tier-I bonds 2010-11 in the nature of promissory noye with distinctive Nos. 1 to 3000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1460)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./5781.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री न्यूबाय इण्डिया प्रा. लि., 308-312, मर्केन्टाइल हाउसं, 15 के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,00,001 से 40,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 21,000 (रुपये इक्कीस हजार) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No.10(1460)/COS(HQ)/Cons. Duty/5781.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Newby India Private Limited, 308-312, Mercantile House, 15 K.G. Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 21,000 (Rs. Twenty One Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,10,00,000 for equity Share certificates with distinctive No. 19,00,001 to 40,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1459)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./5782.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विशाखापतनम पोर्ट रोड कम्पनी लि., जी-5 एवम् 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,25,00,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 30050008 से 37300007 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 72,500 (रुपये बहतर हजार पाँच सौ) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No.10(1459)/COS(HQ)/Cons. Duty/5782.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Vishakhapatnam Port Road Company Limited, G-5 & 6, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 72,500 (Rs. Seventy Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 7,25,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 30050008 to 37300007 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1458)/मु.स. (मुख्या)/स.श्./5783.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एस. ओ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लि., जी-5 एवम् 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 169,95,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20050001 से 190000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 16,99,500 (रुपये सोलह लाख निन्यान्वे हजार पाँच सौ) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F.No.10(1458)/COS(HQ)/Cons. Duty/5783.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Paradip Port Road Comapany Limited, G-5 & 6, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 16,99,500 (Rs. Sixteen Lac Ninety Nine Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.169,95,00,000 for equity Share certificates with distinctive No. 20050001 to 190000000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi, R. K. MISHRA, Special Inspector General (Registration)